To be published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part-II, Section –3 (iii) Dated 3rd November, 2008

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001.

Dated : 3rd November, 2008
Kartika 12, 1930 (Saka)

NOTIFICATION

No.318/CS/2/2008 (1): - Whereas, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 3rd November, 2008 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in columns (1) of the **TABLE** below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE;

TABLE

Name of the States	No. of members
(1)	(2)
1) Uttarakhand	1
2) Uttar Pradesh	10

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby –

(A) appoints, with respect to the said election in each of the above mentioned States, -

(a) the 10th November, 2008 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 11th November, 2008 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 14th November, 2008 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 21st November, 2008 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 24th November, 2008 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States, on the date specified above, for the election.

By order,

(K. AJAY KUMAR)
Secretary to the
Election Commission of India

To be published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part-II, Section –3 (iii) Dated 3rd November, 2008

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001.

Dated : 3rd November, 2008
Kartika 12, 1930 (Saka)

NOTIFICATION

No.318/CS/2/2008 (2): - In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each State, specified in column (1) of the TABLE below, hereby: –

(i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE, to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial elections to the Council of States, to be held in that State, in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 3rd November, 2008 :-

TABLE

STATE	Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Uttarakhand	Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly	Additional Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly
Uttar Pradesh	Principal Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly	Special Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly.

By order,

(K. AJAY KUMAR)
Secretary to the
Election Commission of India

भारत के राजपत्र, भाग–(ii), खण्ड–3(iii) के असाधारण
अंक में तारीख 3 नवम्बर, 2008 को प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड , नई दिल्ली–110001

दिनांक: 3 नवम्बर, 2008
कार्तिक 12, 1930(शक)

अधिसूचना

सं0 318/रा0 स0/2/2008 (1) :– यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 3 नवम्बर, 2008 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें ।

सारणी

राज्य	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या
(1)	(2)
1) उत्तराखण्ड	1
2) उत्तर प्रदेश	10

अत: ,अब, उक्त अधिनियम की, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :–

(अ) उक्त वर्णित राज्यों में प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में :–

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख – 10 नवम्बर, 2008 (सोमवार)
(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 11 नवम्बर, 2008 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख– 14 नवम्बर, 2008 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और 21 नवम्बर, 2008 (शुक्रवार)
(ड) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा 24 नवम्बर, 2008 (सोमवार)

नियत करता है; और

(आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा ।

आदेश से ,

(के. अजय कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

भारत के राजपत्र, भाग-(ii), खण्ड-3(iii) के असाधारण
अंक में तारीख 3 नवम्बर, 2008 को प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड , नई दिल्ली-110001

दिनांक: 3 नवम्बर, 2008
कार्तिक 12, 1930(शक)

अधिसूचना

सं0 318/रा0 स0/2/2008 (2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) मे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार के परामर्श से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों के संबंध में भारत के राजपत्र में 3 नवम्बर, 2008 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में इसके द्वारा :-

(I) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को **रिटर्निंग आफिसर** पदाभिहित करता है ; और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, रिटर्निंग आफिसर के कार्य के निष्पादन में सहायता के लिए **सहायक रिटर्निंग आफिसर** नियुक्त करता है ।

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप मे पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1) उत्तराखण्ड	सचिव, उत्तराखण्ड विधान विधान सभा	अपर सचिव, उत्तराखण्ड विधान विधान सभा
2) उत्तर प्रदेश	प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा

आदेश से,

(के. अजय कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग